

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

का.आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5इ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 के आगे से संगठन इंडियन सोसायटी आफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यकलापों में लगी 'अन्य संस्था' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, अर्थात:-

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन खाता बही रखेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता-बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा
- (इ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5इ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।



(अजय गोयल)

निदेशक (आ.क.नि.-II)

(फा.सं.203/43/2010-आ.क.नि.-II)

अधिसूचना सं. 22 /2011

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।